



**म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल**  
 मध्यप्रदेश शासन  
**M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL**  
 Government of Madhya Pradesh

क्रमांक 538/9 म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

दिनांक 26/6/2018

**//आदेश//**

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम द्वितीय संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 9(क) एवं संशोधित अधिनियम 2016 की धारा 9(ख) में दिये गये प्रावधानों के अध्याधीन गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन पर अध्याग की 130वीं सभा दिनांक 26/06/2018 एजेंडा क्रमांक (130)-400 से लिए गये निर्णय के आधार पर मध्याह्न प्रांशमल विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में पूर्व में संचालित निम्नलिखित संस्थानों को विश्वविद्यालय की संगठक इकाई के रूप में सविलियन कार्यक्रमों में प्रस्तावित प्रवेश हेतु स्वीकृत संख्या की अनुज्ञा इस शर्त के अध्याधीन प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय उक्त संस्थाओं के संचालन में मानक संस्थाओं, केन्द्रीय एवं राज्य शासन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 तथा संशोधित 2013 में प्रावधानों का पूर्ण पालन करेगा :

1. पूर्व में संचालित संस्थान पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड साइंस, पटेल कॉलेज ऑफ फार्मसी, पटेल इंस्टीट्यूट फार्मसी, पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पटेल कॉलेज ऑफ ली को संगठक इकाई के रूप में सविलियन।
2. नये विभाग / छात्र संख्या।

Faculty	Department	Course	Seats
Faculty of Engineering Technology	Mechanical Engineering	Diploma B. Tech. M. Tech (Thermal) PhD	30 30 15 As per availability of seats
		B. Tech M. Tech (Digital Communication) PhD	120 18 As per availability of seats
	Computer Science & Engineering	B. Tech M. Tech (IT) PhD	30 15 As per availability of seats
		Diploma B. Tech M. Tech (ITM & Structure Engg) PhD	120 120 150 (part) As per availability of seats
Faculty of Agriculture Science	Agriculture Science	Diploma B. Tech	30 120
		B. Sc. (H) Agriculture	180

*(Handwritten signature)*

Faculty of Science	Life Sciences	B.Sc. (Hon.) M.Sc. (Botany) M.Sc. (Zoology) M.Sc. (Bio - Technology) M.Sc. (Environmental Science) M. Phil Ph.D.	60 30 30 30 30 30 18 (Each) As per availability of seats
	Physical & Applied Sciences	B.Sc. (Hon.) M.Sc. (Applied Chemistry) M.Sc. (Geography) M.Sc. (Physics) M.Sc. (Mathematics) M.Sc. (Statistics) M. Phil Ph.D.	120 30 30 30 30 30 18 (Each) As per availability of seats
	Information & Technology	DCA PGDCA B.Sc. (CS) B.Sc. (IT) BCA M.Sc. (CS) M.Sc. (IT) Ph.D.	120 120 60 60 120 30 30 As per availability of seats
<b>Faculty</b>	<b>Dept.</b>	<b>Course</b>	<b>Intake</b>
Faculty of Management studies and Commerce	Management Studies	BBA MBA Ph.D.	120 180 As per availability of seats
	Commerce	B.Com (Hon.) B.Com with Computer Application M.Com M. Phil Ph.D.	60 60 30 18 As per availability of seats
	LAW	B.A.L.L.B (H)	120
Faculty of Pharmacy, Nursing and Para-medical Sciences	Pharmacy	B. Pharm M. Pharm D. Pharm Ph.D.	100 36 60 As per availability of seats
	Nursing	GNM B.Sc. (N)	40 50
Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences, Education, Physical Education and Vocational Studies	Linguistic	B.A. (Hon.) M.A. (Hindi) M.A. (English) M.A. (Sanskrit) M. Phil Ph.D.	60 30 30 30 18 (Each) As per availability of seats
	Department of Social Sciences	B.A. (Hon.) M.A. (History) M.A. (Political Science)	120 30 30
			30

*Adhy*

	M.A. (Geography)	30
	M.A. (Sociology)	30
	M.A. (Economics)	30
	MSW	18
	M. Phil	As per availability of seats
	Ph.D.	As per availability of seats
Education	B.ED	100
Vocational Education	Certificate	As ordinance 34

  
सचिव

पृष्ठांक सं. 581/17 म.प्र.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

दिनांक 26/6/2018

प्रतिलिपि—कुलसचिव, मध्यमचल प्रादेशिक विश्वविद्यालय, रातीबड, पोस्ट रातीबड तहसील हुजूर जिला भोपाल।

  
सचिव



**म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल**  
**मध्यप्रदेश शासन**  
**M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL**  
**Government of Madhya Pradesh**

क्र. 723

(आदेश)

दिनांक 10/3/20

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 अध्यासशोधित 2013 एवं 2018 में विभिन्नित प्राक्तानों के अन्तर्गत आयोग की 157वीं सभा दिनांक 04/06/2020 के एजेन्डा क्रमांक (157)-6 में किये गये अनुमोदन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश प्रोवाइन्सल विश्वविद्यालय, भोपाल को उनके मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों एवं शिक्षण संस्थाओं में निम्नलिखित शैक्षणिक में पूर्णित पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2020-2021 से संचालित करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

**New Proposed Courses.**

Faculty	Department	Course	Seats
Faculty of Engineering & Technology	Agriculture and Food Engineering	B. Tech (Agriculture Engineering)	50
		M. Tech (Agriculture Engineering)	30
		Ph. D (Agriculture Engineering)	As per Availability of Seats
	Mining Engineering (Architecture & Planning)	B. Tech (Mining Engineering)	50
		D. Arch (Bachelor of Architecture)	50
Faculty of Arts, Humanities and Social Science	Fine Arts	B. Tech (Fine Arts)	50
		Bachelor of Fashion Design (B.F.D.)	100
	Humanities and Social Science	B.A. (Hons)	100
		B.A. (Psychology)	50
	Department of Arts	Ph. D (Psychology)	As per Availability of Seats
Faculty of Education	Department of Education	M.A. Education	50
		Ph. D (Education)	As per Availability of Seats
Faculty of Management	Management	M.B.A.	100
		M.B.A.	50
		B.Com. Management	50
		Ph. D	As per Availability of Seats
		B.Com. Management	50
		M.B.A.	50
		Ph. D (Agri Business Management)	As per Availability of Seats
Faculty of Agriculture, Animal and Technology	Agriculture	M.Sc. Agriculture (Plant)	50
		M.Sc. Agriculture (Horticulture)	50
		M.Sc. Agriculture (Food Tech)	50
		M.Sc. Agriculture (Food Tech)	50
		M.Sc. Agriculture (Horticulture)	50
		M.Sc. Agriculture (Agri Extension)	50
		M.Sc. Agriculture (Agri Economics)	50
		Ph. D (Agriculture Science and Technology)	As per Availability of Seats
Faculty of Science and Applied Science	Department of Life Science Department of Physical and Applied Science	B.Sc. Plant (Life Science)	50
		B.Sc. Plant (Physical Science)	50
		Bachelor of Agriculture & Horticulture (B.A.H.)	50
		Bachelor of Graphic Design (B.G.D.)	100

शर्तें :-

1. यूजीसी एवं संबंधित विनियामक परिषदों जैसे एनसीटीई, एआईसीटीई, काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

निर्देश - 4

सम्बन्धित प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, सचिव, नोपाल द्वारा प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति।

2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक स्थान की निम्नलिखित सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश सम्बन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाइन्स के अनुसार दिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाइन्स / मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग मंत्र शालन एवं मंत्रनिविदिविधि आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कतना अनिवार्य होगा तथा नेक से प्रत्यापन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कथना होगा।
7. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से एकेडेमिक आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
8. यू.सी.सी. के प्राधान्यानुसार पाठ्यक्रमों में प्रोफेशनल विद्यार्थियों का डिप्लोमा डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी. में) संचालित करना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण की दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जायेगी।

  
सचिव

पृष्ठांक क्रमांक 324 म.प्र.वि.वि.वि.वि.आयोग/नोपाल

दिनांक : 10/07/2020

प्रतिलिपि:- 1. कुलसचिव, नयाकाकल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, सचिव, नोपाल (म.प्र.)  
2. अध्यक्ष, म.प्र.वि.वि.वि.वि.आयोग को सूचनाार्थ।

  
सचिव



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियमन आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL.

Government of Madhya Pradesh

क्र.

1074

दिनांक 28/06/21

कमांक / म.प्र. नि. वि. वि. आयोग / कल्याण / भोपाल  
प्रति,

कुलसचिव  
मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय,  
रातीबड, भोपाल।

**विषय-** मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय रातीबड भोपाल को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में सीट संख्या की वृद्धि बाबत।

**संदर्भ -** आपका पत्र क्रमांक 71 दिनांक 22.12.2020

मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय रातीबड भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीट संख्या के अतिरिक्त सीटों की वृद्धि के संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त विस्तृत प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) से विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निस्वार्थ समिति के प्रतिवेदन को आयोग की 166 वीं सभा की बैठक दिनांक 20.05.2021 के एजेन्डा क्रमांक क्रमांक (166)-09 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें पूर्ण विचारोपरांत लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय रातीबड भोपाल को उनके मुख्य परिसर में संचालित शैक्षणिक विभागों में निम्नलिखित तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2020-2021 से संचालित करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

S.no.	Courses	Ordinance No.	Approved Intake
1	MBA (Entrepreneurship)	41	60
2	MBA (NGO Management)	41	60
3	MBA (Hospital Administration)	41	60
4	MBA (banking insurance)	41	60
5	MBA (information technology)	41	60
6	MBA (Retail Management)	41	60
7	Diploma in Agriculture	54	240
8	Ph. D (Education)	47	As per availability of qualified guide

28/6/21

मध्याह्न प्रोफेशनल विश्वविद्यालय राष्ट्रीय बोधाल को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में सीट संख्या की वृद्धि बाबत

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीट संख्या में वृद्धि हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर आयोग की सभा में पूर्ण विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार सीटों की वृद्धि प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

**Permission for increase in intake in Computer Applications Course from Session 2020-21**

S.No.	Course Name	Ordinance No.	Existing Intake	Additional Intake permitted	Total Intake
1	DCA	22	120	160	280
2	PGDCA	23	120	160	280

नोट-

1. एम.बी.ए. कोर्स में अतिरिक्त सीटों की वृद्धि के प्रस्ताव को अमान्य किया जाता है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में यदि पूर्व में अधिनियम की धारा 9(ख) के अंतर्गत अनुमति प्राप्त नहीं की गई तो उक्त पाठ्यक्रमों हेतु नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जाए।

पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शर्तें :-

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाइन के अनुसार दिये जाएंगे।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संबंधित विनियामक परिषदों (ए.आई.सीटी. एवं आई.सी. ए.आर.) द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाइन / मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
4. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र. नि.दि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नैक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः करना होगा।
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों (एन. बी.ए.) से रेडिंग / मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
7. नेशनल इंस्टिट्यूशनल रैकिंग फ्रेमवर्क (एन.आई. आर. एफ.) हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप संख्या एवं संबंधित पाठ्यक्रमों की रैकिंग हेतु आवेदन करना होगा।
8. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जाना अनिवार्य होगा।
9. यू.जी.सी. के प्राधान्यानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों की अकादमी, डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संचालित करना होगा।
10. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं आयोग द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जाएगी।

(संचालन म.प्र.नि.दि.वि.वि. आयोग द्वारा अनुमोदित)



(जी.के.पी. साहू)  
सचिव

म.प्र.नि.दि.वि.वि.आयोग, बोधाल

बोधाल, दिनांक \_\_\_\_\_

पृ. क्र. \_\_\_\_\_ संशोधन / म.प्र.नि.दि.वि.वि.आयोग / 2021

1. निज सहायक के सम्पर्क में आकर म.प्र.नि.दि.वि.वि.आयोग, बोधाल

2. निज मंडली

सचिव

म.प्र.नि.दि.वि.वि.आयोग, बोधाल